कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर (म.प्र.)

क्र.878 /री0ए0डी0एम0/2020 इंदौर, दिनांक 28/04/2020

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)
(लोक निर्माण विभाग संभाग क्र0–1, इन्दौर के रोड़ निर्माण आदि निर्माण कार्य एवं संधारण कार्य हेतु छूट प्रदान करने संबंधी आदेश)

पूर्व जारी आदेश क्रमांक कमांक/567–568/री0ए0डी0एम0/2020, दिनांक 29.03.2020 के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का समावेश उक्त पूर्व जारी आदेश में किया जाता है :–

नेवल कोरोना (कोविड–19) के संक्रमण संबंधी महामारी के फैलाव को नियत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से अवधि दिनांक 03.05.2020 तक लॉक–डाउन घोषित किया गया है। वर्तमान में प्रभावी टोटल लॉक–डाउन को दृष्टीगत रखते हए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई । दिल्ली द्वारा आदेश क्रमांक 40–3ध्2020–डीएम–1 (ए), दिनांक 15.04.2020 जारी संशोधित गाईड लाईन की कंडिका 16 (1) के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत निम्नानुसार प्राधिकरण के मार्ग अनुरक्षण कार्य तथा विभागों के पूर्व स्वीकृति निर्माण कार्य हेतु संबंधित कार्यकारी फर्म को मय कार्मिकों एवं मार्ग निर्माण कार्य, उपयोगी वाहनों सहित संचालित रखे जाने हेतु दिनांक 03.05.2020 तक के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की जाती है, जो कि आगामी दिनाक 29.04.2020 से प्रभावी होगी:–

विभाग का नाम–कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र0–1, इंदौर

निर्धारित शर्तः–

1. All work places shall have adequate arrangements for temperature screening and provide sanitizers at convenient places.
2. Work places shall have gap of one hour between shifts and will stagger the lunch breaks of staff, to ensure social distancing.
3. Persons above 65 year of age and persons with co-morbidities and parents of children below the age of 5 may be encouraged to work from home.
4. Use of arogya setu will be encouraged for all employees both private and public.
5. All organizations shall sanitize their work places between shifts.
6. Large meeting to be prohibited.

संबंधित ठेकेदार यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करेगा कि निर्माण कार्य हेतु जो भी श्रमिक आये है वह कोविड–19 के कंटेनमेंट एरिया से न आये हो ओर यह भी सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी श्रमिक कोविड–19 से संक्रमित न हो तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार समस्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित बिन्दुओं का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ओर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आपदा प्रबंधक एक्ट 2005 की धारा 58 के तहत कार्यवाही की जावेगी। संलग्न अनुलग्नक दो की सभी शर्तो का पालन अनिवार्य होगा।

उक्त कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा । सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होंगा, सेनेटाईजर, ग्लब्स का उपयोग करना होंगा । मास्क, ग्लबस, सेनेटाईजर उपलब्ध कराने की जवाबदारी संबंधित नियोक्ता की होंगी । किसी भी स्थिति में नगर निगम, इन्दौर क्षेत्र से कोई भी वर्कर इस कार्य हेतु नहीं आवे, इसका सम्पूर्ण ध्यान रखा जावें । उक्त सम्पूर्ण स्वास्थ्य संबंधी सम्पूर्ण मापदण्डों एवं नगर निगम सीमा से कोई व्यक्ति न आवे, इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व श्री आर0के0 जोशी, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र0–1, इंदौर का रहेंगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा । उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश पूर्ववत लागू रहेंगा ।

संलग्नः (निर्माण/अनुरक्षण कार्य)
(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

28/4

अति0 जिला दण्डाधिकारी,
Additional District Magistrate
INDORE (M.P.)

Scanned by CamScanner

पृ०क्र०879/री0ए0डी0एम0/2020 इन्दौर, दिनांक 28/04/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर
8. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र0–1, इन्दौर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1051/व.ले.नि./2020 दिनांक 28/04/2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
9. एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
10. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
11. थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
12. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
13. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।
15. संबंधित ....

28/4

अति0 जिला दण्डाधिकारी,
इन्दौर.

Additional District Magistrate
INDORE (M. P.)

Scanned by CamScanner